—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :—59/2025

उनवान

1. गीता पत्नी रामधन ग्राम जिलावडा, नसीराबाद
2. विशाल पुत्र रामधन,
3. आसू पुत्र रामधन वादी संख्या 2 व 3 नाबालिग पुत्रगण जरिये माता गीता पत्नि रामधन जातिगण जाट निवासी सनोद नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामधन पुत्र अमरा,
2. गोपाल पुत्र अमरा,
3. प्रेम पत्नि अमरा जातिगण सनोद नसीराबाद
4. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
5. उप पंजीयन अधिकारी नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 3 अनुपस्थित, 4 व 5 जरियें राज. पैरोकार

वद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 9.12.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद के खाता संख्या 14/152 किता 2 रकबा 0.36, 15/28 किता 2 रकबा 0.67, 16/10 किता 2 रकबा 0.38, 17/15 किता 14 रकबा 6.53 19/29 किता 6 रकबा 1.26, खसरा नम्बर 778 रकबा 0.70 की आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त हिन्दु परिवार की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की है। उपरोक्त आराजी पूर्व राजस्व अभिलेख में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वज अमरा के नाम खातेदारी दर्ज थी। अमरा की मृत्यु हो गयी है जिसके दो लडके रामधन व गोपाल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा पत्नी प्रेम प्रतिवादी संख्या 3 है। आराजी मुतनाजा वादी संख्या 2 व 3 के दादा अमरा की होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पर वादीगण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सदायगी के रूप में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी सख्या 1 से 3 उक्त आराजी पर वादीगण को हिस्सा हडपना चाहते है तथा भूमि अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा को [illegible] वादीगण को दर्ज किया जाकर आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादी[illegible] को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.17 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे।

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर कर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। कि ग्राम सनोद के खाता संख्या 14/152 किता 2 रकबा 0.36, 15/28 किता 2 रकबा 0.67, 16/10 किता 2 रकबा 0.38, 17/15 किता 14 रकबा 6.53 19/29 किता 6 रकबा 1.26, खसरा नम्बर 778 रकबा 0.70 की आराजी हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में दर्ज है। साबिक राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा अमरा पुत्र हंगामा व अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अमरा के पुत्र तथा प्रतिवादी संख्या 3 अमरा की पत्नी है। वादी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है। उक्तानुसार आराजी मुतनाजा वादी संख्या 2 व 3 के दादा की सम्पति होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादी का आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पर हक व अधिकार निहित है। आराजी मुतनाजा पुश्तैनी सिद्व होने के कारण वादी संख्या 2 व 3 खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण ने आराजी मुतनाजा के विभाजन का अनुतोष भी चाहा है किन्तु आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में भी दर्ज है। उक्त खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है। समस्त सह खातेदार पक्षकार नही होने के कारण वादीगण विभाजन प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम सनोद के खाता संख्या 14/152 किता 2 रकबा 0.36, 15/28 किता 2 रकबा 0.67, 16/10 किता 2 रकबा 0.38, 17/15 किता 14 रकबा 6.53 19/29 किता 6 रकबा 1.26, खसरा नम्बर 778 रकबा 0.70 की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। वादी संख्या 2 व 3 को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ (प्रत्येक का 1/3 हिस्सा) खातेदार घोषित किया जाता हे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.17 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested